रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 280] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 16, 1972/अग्रहायण 25, 1894

No. 280] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 16, 1972/AGRAHAYANA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th December 1972

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian mill made cotton textiles including garments and made-ups for export to West Germany during the licensing year 1973.*

No. 34-ETC(PN)/72.—1. The Scheme relates to the export of all varieties of mill made cotton fabrics, made-up items and readymade garments made out of mill made fabrics from India to West Germany during the licensing year 1st January 1973 to 31st December 1973

2. Licences under the Scheme shall be issued by the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, on the basis of quota certificates issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay on first-come-first-served basis. The quota certificate will be issued on presentation by the exporters of firm contract and a proforma invoice indicating along with other details, the nett weight in kgs. of goods in the Form prescribed by Texprocil for the purpose.

3. For the purpose of exports and issuance of quotas/licences, cotton textiles have been divided into the following groups:—

Group I.—Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not:—

Group I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C and C1.

Group II.—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton:—

Group II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 F F1 F2 F3 and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with the Texprocil in the form of standardised categories and items falling under the same.

4. According to the agreement imports of cotton textiles into West Germany will be admitted by competent West German Authorities only on presentation of the Green Certificate issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which the West German Authorities would issue import licence.

5. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

7. A non-refundable charge of Rs. 2.50/- per Ton will be levied by The Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas subject to a minimum of Rs. 2.50.

8. All quota holders shall have to submit a monthly report to The Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipments against individual licences issued to them. These statements should reach The Cotton Textiles Export Promotion Council by the 10th of the subsequent month.

9. The E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme (b) keep a watch over the pedformance from time to time (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme, and (d) make such changes in the scheme, as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to timn, *inter-alia*, providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reason.

10. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE"
5th Floor,
9, Mathew Road,
Bombay-4.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1972

विषय;—लाइसेंस अवधि 1973 के दौरान पहनावों और तैयार मालों सहित भारतीय मिल निर्मित सूती वस्त्रों का पश्चिमी जर्मनी को निर्यात के लिए लाइसेंस देने से सम्बंधित योजना।

संख्या 34–ई टी सी (पी एन)/72—1. लाइसेंस अवधि 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक सभी प्रकार के मिल निर्मित सूती वस्त्रों से तैयार की गई मदों और मिल निर्मित वस्त्रों से तैयार किए गए बने बनाए पहनावों का भारत से पश्चिमी जर्मनी को निर्यात से यह योजना सम्बन्ध रखती है।

2. इस योजना के अन्तर्गत लाईसेंस संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई, से जारी किए गये कोटा प्रमाण-पत्र के आधार पर पहले आये सो पहले पाए के आधार पर जारी किए जाएंगे निर्यातकों द्वारा फर्म संविदाओं और अन्य ब्यौरे के साथ टेक्स-प्रोमिल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में माल का किलो ग्राम में वास्तविक वजन दर्शाते हुए एक बीजक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर कोटा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा ।

3. निर्यातों और कोटे/लाइसेंसों को जारी करने के लिए सूती वस्त्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है :—

वर्ग–1: सूती वस्त्र, भूरे या विरंजित रेशमी सा बनाया हुआ या बिना विरंजित रेशमी सा बना हुआ वर्ग 1 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदे आती हैं :— बी, बी1, बी2, बीर3, बी4, बी5, बी6, बी7, बी8, सी और सी1 ।

वर्ग–2: अन्य सूती वस्त्र, तैयार सामग्री और सूत की विविध सामग्री :— वर्ग–2 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदें आती हैं :—

सी2, सी3, सी4, सी5, सी6, सी7, डी, डी1 डी2, डी3, डी4, ई, ई1, ई2, ई3, ई4, ई5, ई6, ई7, ई8, ई9, ई10, ई11, एफ, एफ1, एफ2, एफ3, और एफ4 । उपर्युक्त श्रेणियो के अन्तर्गत आने वाली मदों का विवरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के यहां मानकीकृत वर्गीकरण के रूप मे और उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के रूप में उपलब्ध है ।

4. करार के अनुसार, पश्चिम जर्मनी में सूती वस्त्रों के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन सर्टिफिकेट के प्रस्तुतीकरण पर ही पश्चिम-जर्मन के समर्थ प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी, जिसके आधार पर पश्चिम जर्मनी के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

5. लाइसेंस भारत के किसी भी भाग से पोतलदान के लिए वैध होंगे ।

6. ई० ई०सी० और आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटा हस्तान्तरणीय नही होगे ।

7. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रति टन 2.50 रु० के हिसाब से एक अदेय शुल्क वसूला जाएगा इसकी न्यूनतम राशि 2.50 रुपये होगी ।

8. सभी कोटाधारी जिनको व्यक्तिगत लाइसेंस जारी किया गाया है, उसके लिए उन्हे पोतलदान का विवरण देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिर्पोट जमा करनी पड़ेगी । ये ब्यौरे परिषद के पास अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिए ।

9. ई० ई० सी० आस्ट्रिया वस्त्र सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे—(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना , (ख) समय-समय पर कार्य पालन का निगरानी रखना, (ग) योजना के परिचालन मे सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (ध) योजना में समय-समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझे कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस

समिति समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए भी अधिकृत है। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक ले या उसे रद्द कर दे और किसी कारण से समनुदेशित किए हो कोटा के लिए दिए गए आवेदन पत्र को रद्द करदे।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है:—

"इंजीनियरिंग सेन्टर,"
5वीं मंजिल,
9, मयूर रोड,
बम्बई-4

एम० एम० सेन,
संयुक्त नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972